




The Gazette of

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

> साप्ताहिक WEEKLY



सं. 32] No. 32] नई दिल्ली, अगस्त 1—अगस्त 7, 2010, शनिवार/श्रावण 10-श्रावण 16, 1932 NEW DELHI, AUGUST 1—AUGUST 7, 2010, SATURDAY/SHRAVANA 10—SHRAVANA 16, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण साविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आंदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

1/

e

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 130,—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची (संमूह कि पद) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोग किया गया है, उपभोवता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के अधीन भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची में निर्देशक, आचार्य और सहायक आचार्य के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंध,—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना : ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होते हैं ।
- 3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन वैंड और ग्रेंड वेतन/वेतनमान,—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमां और अन्य अहताएं आदि,—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जी उक्त अयुस्ची के स्तंध (5) से स्तंध (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 5. निरहता,—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 6. शिथिल करने की शिवत.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वगौं, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

2903 GI/10-3

माप परिवर्तन	अनुसूची								
निदेशक 01*(2010) (भारतीय *(कार्यभार के विधिक आधार पर माप परिवर्तन विज्ञान किया जा	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा				
(भारतीय *(कार्यभार के विधिक आधार पर माप परिवर्तन विज्ञान किया जा	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
Activitie)		वेतन बैंड-3 (15600- 39100 रु.) धन ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं)। नोट: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निणीयक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिकिकम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			
	(10)		
9	सीधी भर्ती किए गए		
ं : हां	व्यक्तियों के लिए		
	एक वर्ष		
	*		
50 4V			
te **			

रीय

गरी

के

नए

जा

(8)

तथा माप से संबंधित कार्य में दस वर्ष का अध्यापन और/या व्यावहारिक अनुभव ।

वांछनीय :

हिंदी का कार्यसाधक जान।

टिप्पण-1: अर्हताएं अथवा सुअर्हित अध्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार कारण लिखित में लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं), संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में लिखित में कारण लेखबद्ध करके तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां प्रोन्ति की जाएगी।

(11)

प्रोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रनिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (12)

प्रोन्नित: ऐसा आयार्च जिसने वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) धन ग्रेड वेतन 6600 रु. में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपोक्षत अर्वक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रिनिन्युक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनसंधान संस्थानों या लोक सेक्टर उपक्रमों अर्द्धसरकारी या कानूनी या संगठनों के ऐसे अधिकारी ।

- (क) (i) जो नियमित आधार पर मूल काडर/विभाग में सदृश पद धारण कर रहें हैं, या
- (ii) नियुक्ति के पश्चात् से प्राप्त ग्रेड में जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड 3 (15600-39100 रु.) धन तेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच अर्थ नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ ३ के अधीन सीधी मर्ती के लिए विहित रौक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।

行 并 帝 國 前 川、「 市 市 川 干 耳 耳

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्ति की सीधी पंकित में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्तित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में उस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

JM			erena de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela composición de		नहीं हो	गी । ————		- 44 P - 20 1	
यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना					भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा				
New York	(13)				8	(14)			
177	ं विभागीय प्रोन्न संबंध में विचार	25			1 61	अल्पकालिव	करते समय और प्रतिनियुक्ति ह संविदा भी सम्मिलित है)	पर किसी	
. अध्यक्ष/सदस्य,						अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक			
न्ध स्ट्रे	ह सेवा आयोग			—अध्यक्ष		सेवा आयोग	से परामर्श करना आवश्यव	न है।	
आ भव	# 2	(10)			2 8 453				
ापभोव	ता मामले विभाग	Ţ		—सदस्य					
अपर/स	ांयुक्त सचिव (प्र	शासन),			54				
	ता मामले विभाग		v.	सदस्य					
॥ समृह 'व	क ' विभागीय प्रो न ्	ाति समिति	E - E						
(9	वंबंध में विचार क								
 सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग —सदस्य 									
	ांयुक्त सचिव (प्र		A# 11 11	W.C. (2010)					
	ता मामले विभाग	25,52	21 2	—सदस्य		ā 8			
३. उप सन्	चव/निदेशक (स्थ	गपन)		V-34-07-E-2-2-4			2		
	ता मामले विभाग	40	et 8	—सदस्य			. 2		
	E 11	***************************************		y.	** 34				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	20	(7)	Я	
आचार्य	04*(2010)	साधारण	वेतन बैंड-3	चयन	लागू नहीं हो	ता	40 वर्ष से अधिक नहीं।		
8	*(कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा	(15600-				टिप्प्ण : । (केन्द्रीय स	रकार द्वा	
a u	आधार पर	समूह 'क'	39100 চ.)			3	समय-समय पर जारी	किए ग	
	परिवर्तन	राजपत्रित,	धन ग्रेड वेतन				अनुदेशों या आदेशों के	अनुस	
	किया जा	अननुसचिवीय,	6600 ₹.				सरकारी सेवकों के लिए		
	सकता है)।	MR .					शिथिल की जा सकती है	Ľ.	
22							टिप्पण 2 : आयु-सीमा	अवधारि	
	98						करने के लिए निर्णायक ता		
			55 St.				में अभ्यर्थियों से आवेदन उ	ग्राप्त कर	

नहीं

; पर र्ष से तर्गत

सी

ा की वचार यक्ति

न्द्रीय युक्ति

सीमा धिक

-∄में

布 .

ारा

ाए R वि

.त

त ने

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक विज्ञान

में मास्टर डिग्री या गणित में मास्टर डिग्री (साथ ही भौतिक विज्ञान एक विषय के रूप में डिग्री स्तर पर रहा हो)।

(8)

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रानिकी या कंप्यूटर या इंस्ट्रपेंटेशन या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरी

अनुभव । वांछनीय :

में डिग्री।

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान ।

टिप्पण-1 : अर्हताएं अथवा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार कारण लिखित में लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती है।

(ii) माप विज्ञान संबंधी मदों (उदाहरणार्थ मापन उपकरणों) में मानकीकरण अंशांकन या प्रशिक्षण कार्य विधिक माप विज्ञान/बाट तथा माप से संबंधित कार्य में पांच वर्ष का अध्यापन और/या व्यावहारिक

टिप्पण-2 : अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं), संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अध्यर्थियों की दशा में लिखित में कारण लेखबद्ध करके तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(7)

के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लददाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(9)

शैक्षिक अर्हताएं : हां

आयु : नहीं ।

(10)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(11)

प्रोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(12)

प्रोन्नित: ऐसा सहायक आचार्य जिसने वेतन (15600-39100 रु.) धन ग्रेड वेतन 5400 रु. में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या लोक सेक्टर उपक्रमों अर्द्धसरकारी या कानूनी या संगठनों के ऐसे अधिकारी।

- (क) (i) जो नियमित आधार पर मूल काडर/विभाग में सदृश पद धारण कर रहें हैं, या
- (ii) नियुक्ति के पश्चात् से प्राप्त ग्रेड में जिन्होंने मूल काडर/विभाग वेतन बैंड 3 (15600-39100 रु.) धन ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य वेतन्मान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति संविदा की अविध, जिसके अंतर्गत के द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में उस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अविध है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)		(14)
I. समूह 'क' विभागीय प्रोन्तित समिति		सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति (जिसमें
(प्रोन्ति के संबंध में विचार करने के लिए)	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) पर किसी
1. सचिव,		अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक
उपभोक्ता मामले विभाग	—अध्यक्ष	सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
2. अपर/संयुक्त सचिव (प्रशासन),		8
उपभोक्ता मामले विभाग	—सदस्य	
 निदेशक, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान 	—सदस्य	

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : अगस्त 7, 2010/श्रावण 16, 1932)] (13)II. समृह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति ने (स्थायीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) Ų 1. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशासन), ¥ उपभोक्ता मामले विभाग अध्यक्ष U 2. निदेशक, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान —सदस्य П 3. उप सचिव/निदेशक (स्थापन), उपभोक्ता मामले विभाग —सदस्य (1) (2) (3) (4) (5) (6) सहायक वेतन बैंड-3 09*(2010) साधारण लागू नहीं होता लागू नहीं होता आचार्य *कार्यभार के केन्द्रीय सेवा (15600-आधार पर समूह 'क' 39100 ₹.) परिवर्तन राजपत्रित, धन ग्रेड वेतन किया जा अननुसचिवीय, 5400 रु. सकता है। (8) (9) आवश्यक: लागू नहीं होता (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक विज्ञान

(7)35 वर्ष से अधिक नहीं टिप्प्ण : । केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समृह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई 青) 1

(10)

व्यक्तियों के लिए

एक वर्ष

सीधी भर्ती किए गए

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री या गणित में मास्टर डिग्री (साथ ही भौतिक शास्त्र एक विषय के रूप में डिग्री स्तर पर रहा हो)।

य

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रानिकी या कंप्यूटर या इंस्ट्र्मेंटेशन या सूचना प्रौद्योगिकी की इंजीनियरी में डिग्री।

वांछनीय :

हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान ।

टिप्पण-1: अर्हताएं अथवा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार कारण लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती है। (8)

टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं), संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में लिखित में कारण लेखबद्ध करके तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(11)

(12)

75% सीधे भर्ती द्वारा 25% प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सिंवदा भी है) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । टिप्प्ण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों, प्रतिनियुक्ति (अंतर्गत अल्पकालिक सिंवदा भी है) पर स्थानांतरण के आधार पर भरी जा सकेगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्द्धसरकारी या कानूनी या संगठनों के ऐसे अधिकारी। (क) (i) जो नियमित आधार पर मूल काडर/विभाग में सदृश पद धारण कर रहें हैं, या

- (ii) जिन्होंने नियुक्ति के बाद से प्राप्त श्रेणी में मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड 2 (9300-34800 रु.) धन ग्रेड वेतन 4600 रु.वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य और
- (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड 2 (9300-34800 रु.) धन ग्रेड वेतन 4600 रु. के वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की हो या समतुल्य और
- (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत कन्द्राय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में उस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण: प्रोन्नित के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए तारीख 1-1-2006 (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें विस्तारित की गई थी) से पूर्व अधिकारी द्वारा की गई नियमित सेवा को आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तदनुसार श्रेणी/वेतनमान की गई सेवा समझी जाएगी । सिवाए इसके जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान का एक समान ग्रेड वेतनमान में समामेलन किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पद (पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी अनुभव में सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यों के

में

ल

द

त्रा

2

न

IT

Ų

n

य

ij

7

7

Į

(13)
(14)

1. समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि के संबंध में विचार प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति के लिए संघ करने के लिए)
तोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. अपर/संयुक्त सचिव (प्रशासन),
उपभोक्ता मामले विभाग
—अध्यक्ष

2. निदेशक,
भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची
—सदस्य

3. उप सचिव/निदेशक (स्थापन),
उपभोक्ता मामले विभाग
—सदस्य

[फा. सं. ए-12011/23/2006-स्था,]

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 27th July, 2010

- G.S.R. 130.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Institute of Legal Metrology Ranchi (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2002 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director, Professor and Assistant Professor in the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution(Department of Consumer Affairs) namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi (Group 'A' posts), Recruitment Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.—The number of the said posts, their classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the aforesaid Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
 - 5. Disqualifications.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

2903 GI)10-4

SCHEDULE

				Whether	Whether	Age limit for direct recruits			
the Post	of Post		and Grade	selection	benefit of	8		×	
S.			Pay /Pay	post or	added				
			Scale	non-	year of		24.		
				selection-	service			6	
				post	admissible				
					unde-		176.00 100.00		
ja			8		Rule 30				
Ŧij				v v Killy	of the		8		
			. B	iii He	Central				
			ži.	*	Civil Service			9	
					(Pension)				
84 (C)					Rules, 1972	5. 7	84		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		
1. Director	01*(2010)	General	Pay Band-3	Selection	Not	Not exc	eeding 50 ye	ars.	
(Indian	*Subject	Central	(Rs. 15600-	¥.;	applicable		able for (
Institute	to variation	Service	39100/-)+		s 5.5 a		ts upto fiv		
of Legal	dependent	Group 'A'	Grade Pay	17/20	* g %		ince with the	. 157	
Metrology)	7	100	Rs. 7600				rs issued by	2711	
(victiology)	Oli WUIKIOAU	Non-	Ks. 7000				ment from t		
		Ministerial				Note:	mom nom .		
*		iviiiisteitai				3	unial data for	. datarminin	
							icial date for		
						1000	limit shall b		
							r receipt of		
							indidates in		
			ac.	11			sing date p		
			*				in Assam,		
						and the second second	hal Prades		
							ur, Nagalai		
							Ladakh Divi		
			¥ 8			and Ka	shmir State	, Lahaul an	
						Spiti I	District and	l Pangi Su	
		S				divisio	n of Chamb	oa district o	
					7.5	Himach	nal Pradesh,	Andaman ar	
						Nicoba	r Islands or I	akshdweep	
					35	- N	1 100		
Educational ar	d other qual	ifications requir	ed for Direct	Whether	age and educat	ional P	eriod of prol	oation, if any	
Recruits	quui				tions prescribed		6	*	
				direct rec	ruits will apply	in the			
42.8				case of p	romotees		08		
(8)			£ 3	(9)	8 9	. (1	0)	
Essential:				Age: No			ne years for	direct recrui	
		8		Educatio	nal qualification	: Yes			
(i) Masters	degree in Pl	ysics or Maste	r's degree in						
Mathema	atics (with P	hysics as a sub	ject at degree		848 94				
level) fro	m a recognis	sed University o	r Institute.						
		OR				;			
	G 9 05		· · ·						
	chanical or	Electrical or E	lastronias or		A.				

ient

in

ions

itral

ne.)

iing

ing

ons

not

for

ya.

ım,

ira.

mu

and

ub

of

and

:p).

ny

its

(8)

Computer or Instrumentation or Information Technology Engineering from a recognised University or Institute.

 (ii) 10 years' experience of teaching and/or practical experience of standardization, calibration or imparting training in Metrological items (e.g. ineasuring instruments) or in work connected with Legal Metrology.

Desirable:

Working knowledge of Hindi.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation absorption to be made

(12)

(11)

promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment.

Promotion:

Professor in the Pay Band 3 (Rs. 15600-39100) plus Grade Pay Rs. 6600/- with five year's regular service in the grade.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion. their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation (including short term contract):

Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Autonomous or Statutory Organizations:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts

2903 GI/10-5

in Pay Band 3 (Rs. 15600-39100/-) plus Grade Pay Rs.6600 or equivalent in the parent cadre/ department; and

possessing the educational qualifications and (b) experience prescribed for direct recruits under column 8.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation(including short term contract) including period of deputation(including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

(14)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

Consultation with Union Public Service

Commisson necessary while making direct

recruitment and appointing an officer on

deputation (including short term contract).

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)

(13)

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission

Chairman

2 Secretary,

Department of Consumer Affairs

-Member

3. Additional/Joint Secretary (Administration), Department of Consumer Affairs

-Member

il Group 'A' Departmental Promotion Committee

(for consideration Confirmation) 1. Secretary.

-Chairman

Member

Department of Consumer Affairs 2. Additional/Joint Secretary (Administration),

(2)

Department of Consumer Affairs

3. Deputy Secretary/Director (Establishment), Department of Consumer Affairs

(3)

Non-

Ministerial

-Member

(5)

(6). (7)

2. Professor 04*(2010) *Subject

(1)

General Central to variation Service dependent (Group 'A' on workload. Gazetted,

Pay Band-3 Selection (Rs. 15600-39100/-) plus Grade Pay Rs. 6600/-

Not applicable

Not exceeding 40 years. Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.

ay ·e/

ıd

er

in 1-

n

n

(7)

Note 2: The crucial date determining the age-limit shall the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State. Lahaul and Spiti District and Pangi Sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

(8)

(9)

Educational qualification: Yes

(10)

Essential:

Age: No

(i) Master's degree in Physics or Master's degree in Mathematics (with Physics as a subject at degree level) from a recognised University or Institute.

Degree in Mechanical or Electrical or Electronics or Computer or Instrumentation or Information Technology Engineering from a recognised University or Institute.

(ii) Five years' experience of teaching and/or practical experience of standardization, calibration or imparting training in Metrological items (e.g. measuring instruments) or in the work connected with Legal Metrology.

Desirable:

Working knowledge of Hindi.

Note (i): Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note (ii): The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

One years for direct recruits

Promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment. (12)

Assistant Professor in the Pay Band 3 (Rs. 15600-39100/-) plus Grade Pay Rs,5400/- with five year's regular service it. the grade.

(11)

Promotion:

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract):

Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Autonomous or Statutory Organizations:

- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band 3 (Rs.15600-39100/-) plus Grade Pay Rs,5400/- or equivalent in the parent cadre/ department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

(14)(13)Consultation with Union Public Service Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Commission necessary while making promotion) direct recruitment and appointing an officer 1. Secretary, on deputation (including short term contract). Department of Consumer Affairs —Chairman 2. Additional/Joint Secretary (Administration) -Member Department of Consumer Affairs 3. Director Indian Institute of Legal metrology, Ranchi —Member

ifying notion, ey are rice by rice or ...sfully 11 d next ciready nion arch Semi ations: n the √ered. eis in Grade lre and ...Jer e in tor tion ud-) in this · or not went # not int of

vice wing

ficer

...ct).

भारत का राजपत्र : अगस्त 7, 2010/श्रावण 16, 1932 [भाग II — खण्ड 3(i)] (14)(13)II Group 'A' Departmental Promotion Committee (for Confirmation): 1. Additional Secretary (Administration) or (Joint Secretary (Administration) Department of Consumer Affairs —Chairman 2. Director Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi -Member 3. Deputy Secretary/Director (Establishment), Department of Consumer Affairs -Member (6)(7) (1) (2) (4) (5)(3) Not exceeding 35 years. 3. Assistant 9* (2010) Pay Band-3 Not Not General Note 1: Relaxable for Government Professor *Subject Central (Rs. 15600applicable applicable servants upto five years, in to variation Service 39100) plus (Group 'A' Grade Pay accordance with the instructions dependent or orders issued by the Central on workload. Gazetted, Rs. 5400 Government from time to time. Non-Ministerial Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep). (8) (9)(10)Not applicable Essential: One year for direct recruits Master's degree in Physics or Master's degree in Mathematics (with Physics as a subject at degree level) from a recognised University or Institute.

Degree in Mechanical or Electrical or Electronics or Computer or Instrumentation or Information Technology Engineering from a recognised University or Institute.

Desirable:

- (i) Working knowledge of Hindi.
- (ii) One year's professional or teaching experience.

Note 1: (i) Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

(8)

(ii): The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(11)

75% by direct recruitment 25% by deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation (including short-term contracts).

(12)

Deputation (including short term contract):

Officer under the Central or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations:

- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band 2 (Rs.9300-34800) plus Grade Pay Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre/ department; or
 - (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band 2 Rs. 9300-34800) plus Grade Pay Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The minimum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Note: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (The date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(13)

(14)

the post on each occasional.

Consultation with Union Public Service

Commission is necessary for appointment to

I. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):

Additional/Joint Secretary (Administration)

—Chairman

2. Director

Department of Consumer Affairs

Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi

---Member

Deputy Secretary/Director (Establishment)
 Department of Consumber Affairs

-Member

[F. No. A. 12011/23/2006-Estt.] PREMA BHATT, Under Secy.